

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025/155

तारीख रजू 25.06.2025

सिविल प्रकरण संख्या:- 33/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. बद्रीलाल गाडरी पुत्र श्री दीपाजी गाडरी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स देवनारायण आईसकीम खजुरिया श्याम सूरवाल बाईपास, सूरवाल सवाई माधोपुर निवासी काली मगरी का खेडा, देलाना, तह. साहदा, जिला भीलवाडा 311801।

अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 28 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 08.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 26.04.2025 को 12.30 पी.एम. पर मैसर्स देवनारायण आईसकीम खजुरिया श्याम सूरवाल बाईपास, सूरवाल, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम बद्रीलाल गाडरी पुत्र श्री दीपाजी गाडरी होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया जो वर्ष 2027 तक के लिए मान्य था। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में एक डीप फ्रीज में कुल्फी बनाकर आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त कुल्फी में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेश होने पर वास्ते नमूना जांच 1200 ग्राम खरीदकर उसकी कीमत 300/- रुपये विक्रेता बद्रीलाल गाडरी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान कमलेश मोना एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे बद्रीलाल गाडरी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति

न्यायालय अतिरिक्त
एवं जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रेता बदीलाल गाडरी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा 1200 ग्राम **Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based** को हिला-मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based** को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर कर 24-24 बूंदे फॉर्मलिन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3712** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3712** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/750 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/1850/एक्ट/2025/1959 दिनांक 09.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा चास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based, Sub Standard** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2025/893 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub Standard, Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम

210

न्याय निर्यात जा...
ए. आ. वि. वि. माधोपुर
सवाई माधोपुर

2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।


न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री संदीप शर्मा एडवोकेट उपस्थित आए। वकील अभियुक्त द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस समय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub Standard, Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो कुल्फी बेचने का कार्य करता है। अप्रार्थी ने कुल्फी में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की है तथा गलत तरीके से फसाया गया है। अप्रार्थी कोई दूध कारोबारी नहीं है बल्कि एक कुल्फी विक्रेता है और अन्य से दूध क़य करता है। दूध में वसा की मात्रा निश्चित नहीं होती है, मवेशी के आधार पर अलग-अलग मवेशियों में Fat (वसा) की मात्रा होती है। अन्त में वकील अभियुक्त द्वारा अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया गया।


समय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/1850/एक्ट/2025/1959 दिनांक 09.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based, Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में Milk fat results 7.54% आया है जोकि Not less than 10.0% होना चाहिए था। इस प्रकार जाँच रिपोर्ट में मिल्क फेट निर्धारित मात्रा से कम आने के कारण नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जाँच की पुनः रेफरेंस जाँच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।


न्याय निर्णयन अधिकारी
एलएस/1850/एक्ट/2025/1959

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Kulfi made from Milk, Mawa, Custard Powder and Sugar Based** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 15,000/-रु० (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर